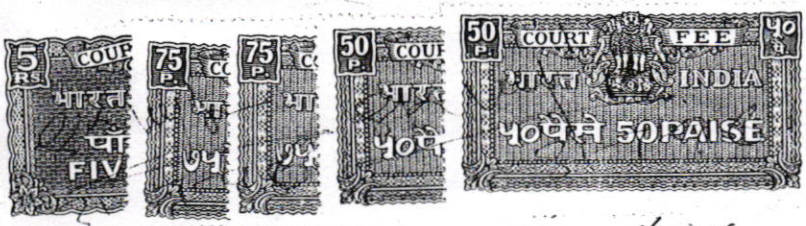

5 RS. COURT FEE भारत पाँच FIVE | 75 P. | 75 P. | 50 P. COURT ५० पैसे | 50 P. COURT FEE ५० पै. भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

(82)

CF Rs 7.50

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० 1९९ पुनरीक्षण 1826-III/03

R 33-III/96.

रामसुन्दर तनय कमला प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम मलेगवां तहसील हनुमना
जिला रीवा ------- आवेदक

विरुद्ध

१- पुरुषोत्तम प्रसाद तनय गोरेलाल प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम मलेगवां तहसील हनुमना
जिला रीवा

२- रामयश तनय रामसुमेर
३- रामानन्द तनय छोटा
निवासीगण ग्राम पुविहा तहसील हनुमना
जिला रीवा ------- अनावेदकगण

280-III
[illegible] 3/7/96
रीडर, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक ३२३/९२-९४ अपील में पारित आदेश दिनांक २७-७-९६ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म. प्र. भू राजस्व संहिता १९५९.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध एवं मनमाने होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(२) यह कि अपर आयुक्त ने आवेदक के हित में दिनांक ३१-३-९४ को स्थगन आदेश जारी किया था। उसके पश्चात अनावेदकगण लगभग दो वर्षों तक अपर आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित होते रहे एवं स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। लगभग दो वर्षों से अधिक समय के पश्चात स्थगन आदेश पर आपत्ति करने का न तो कोई औचित्य था और न ही कोई अधिकार [illegible] था।

[illegible] 2/7/96

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1826–तीन/2003 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 323/1993–94/अपील में पारित आदेश दिनांक 27.07.96 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित भूमि उनके हिस्से बांट की है तथा उनका कब्जा दखल है । अनावेदकगण के कब्जे दखल में दस्तनदाजी करते है । प्रस्तुत प्रकरण खसरा प्रविष्टि से संबंधित है । इस संबंध में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 115–116 उल्लेखनीय है। संहिता की धारा 115 के तहत **संहिता की धारा 115 के**	

अन्तर्गत– खसरा तथा किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों मे गलत प्रविष्टि का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शुद्धिकरण–" यदि किसी तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या कि अशुद्ध प्रविष्टि की गई है, तो वह सम्यक लिखित सूचना देने के पश्चात, संबंधित व्यवितयों से ऐसी पूछताछ करने के पश्चात जैस कि वह उचित समझे उसमें आवश्यक परिवर्तन लाल स्याही से किये जाने के निर्देश देगा । " धारा 115 की व्याप्ति केवल धारा 114 के अधीन की गई प्रविष्टि तक सीमित है। इस धारा के अधीन शुद्धीकरण तहसीलदार की स्वप्रेरणा से ही किय जा सकता है । किसी पक्षकार के आवेदन पर नहीं । आवेदन पर शुद्धीकरण धारा 116 के अंतर्गत आता है । इसी तरह **संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत–खसरा या किन्हीं अन्य भू–अभिलेखों में की प्रविष्टि के बारे में विवाद–**" यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में की किसी ऐसी प्रविष्टि से व्यथित हो जो धारा 108 में निर्दिष्ट की गई बातों से भिन्न बातों के संबंध में की गई हो, तो वह ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उसके शुद्धिकरण के लिये तहसीलदार को आवेदन करेगा। तहसीलदार, ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह उचित समझे मामलें में आवश्यक आदेश देगा। " । यदि आवेदक का स्थंगन आदेश निरस्त किया जाता है तो कोई अपूर्तिनीय क्षति होने की संभावना नहीं दिखती। इसी स्तर पर अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा द्वारा दिनांक 31.03.94 को दिया गया स्थंगन का आदेश निरस्त किया गया है ।

5/ फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य